भारत सरकार द्वारा दिनॉक 01 जनवरी 2021 से शासकीय अधिकारियों एवं कर्मचारियों के डिजिटल सिग्नेचर (गर्वमेण्ट ओ0यू0) बनाने हेतु गाईड लाईन्स निर्गत की गयी है। उक्त गाईड लाईन्स में निम्न व्यवस्था हैः–

1. किसी भी शासकीय/अर्द्धशासकीय विभाग को Applicant को डिजिडल सिग्नेचर बनवाने हेतु प्रथमतः अपना पैन कार्ड, आधार कार्ड विभागीय आईडी (सम्बन्धित विभाग द्वारा निर्गत परिचय पत्र), पते के प्रमाण पत्र की आवश्यकता होगी।
2. सर्वप्रथम शासकीय/अर्द्धशासकीय विभाग के किसी एक व्यक्ति को डिजिटल सिग्नेचर बनवाने हेतु नोडल को नामित करना होगा तथा आदेश की प्रतिलिपि उपलब्ध करानी होगी एवं उस व्यक्ति को स्वयं का पैन कार्ड, आधार कार्ड विभागीय परिचय पत्र, एक फोटो मेल आईडी (व्यक्तिगत/विभाग की) देना अनिवार्य होगा तथा विभाग की जीएसटी नम्बर भी निगम को उपलब्ध कराया जाना होगा।
3. डिजिटल सिग्नेचर बनवाने के लिए नोडल अधिकारी को रजिस्टर किया जायेगा। तत्पश्चात नोडल अधिकारी के रजिस्टर मोबाईल एवं ई–मेल आईडी पर ओ0टी0पी0 जायेगा जिसकी वैधता 02 मिनट होगी। ओ0टी0पी0 तत्काल उपलब्ध कराना होगा।
4. नोडज अधिकारी को वीडियो बनाने के लिए ई–मेल आईडी पर लिंक जायेगा लिंक पर क्लिक करने पर कैमरा का स्क्रीन चालू हो जायेगी जिसमे अधिकारी को अपना नाम और स्क्रीन पर दिए हुए विवरण को रिर्काड करना होगा और अपना मूल पैन कार्ड कैमरे में दिखाने के बाद सबमिट करना होगा। ( वीडियो में आवाज साफ और स्पष्ट होना चाहिए।
5. विभाग के नोडल अधिकारी के रजिस्टर होने के बाद ही विभाग के अन्य अधिकारीयों का डिजिटल सिग्नेचर बनेगा।
6. Applicant डिजिटल सिग्नेचर प्रोसेस करते समय Applicant के स्वयं का पैन कार्ड, आधार कार्ड विभागीय परिचय पत्र, एक फोटो मेल आईडी (व्यक्तिगत/विभाग की) देना अनिवार्य होगा। तथा मोबाईल नम्बंर एवं ई–मेल आईडी (जो फार्म में भरा हो) पर ओ0टी0पी0 जायेगा जिसको निगम में तत्काल उपलब्ध कराना होगा। उक्त ओ0टी0पी0 की वैधता 02 मिनट होगी। और (उपर दिये गए Sr.no. 4 का पालन करें।)